P001

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–1/45001/प्र.अ./स्थाना/2018 दिनांक 30.07.2018 द्वारा श्री सुल्तान सिंह प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जैतपुरा, गोविन्दगढ जिला जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय माध्यमिक विद्यालय–छारदडा, कोटपुतली जिला जयपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री सुल्तान सिंह द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 17879/2018 सुल्तान सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर कीगई।

याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 30.07.2018 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया है।

अतः श्री सुल्तान सिंह, प्रधानाध्यापक माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेश तक माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जैतपुरा, गोविन्दगढ जिला जयपुर में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रहेंगे तथा श्री सुल्तान सिंह जाट, प्रधानाध्यापक का समायोजन माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राउमावि–छारदडा, कोटपुतली जिला जयपुर किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 22.09.2018 तक कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/सुल्तान सिंह/याचिका/17879/2018 दिनांक 17/9/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/अपीलार्थी

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 21.08.2018 द्वारा श्रीमती विनोद, प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, कैराप, डीडवाना जिला नागौर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अचीना, खींवसर जिला नागौर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती विनोद द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3090/2018 श्रीमती विनोद बनाम श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 21.08.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः श्रीमती विनोद माननीय अधिकरण के आदेश की अनुपालना में माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राउमावि–कैराप, डीडवाना जिला नागौर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगी एवं श्री [illegible] सिंह, प्रधानाचार्य का समायोजन माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम आदेश के अधीन राउमावि–अचीना, खींवसर जिला नागौर किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 22.09.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/विनोद/3090/2018 दिनांकः 17.09.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा नागौर को पाबन्द किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/अपीलार्थीगण।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)